संख्या-2023/ 001-253422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक **16** मार्च**, 2023**

विषय:- जनपद लखनऊ के के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम स्थित तरणताल को कवर्ड किये जाने के अतिरिक्त कार्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1236/2022-23, दिनांक 19.01.2023 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ के के0डी0 सिंह 'बाबू' स्टेडियम स्थित तरणताल को कवर्ड किये जाने के अतिरिक्त कार्य हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन को आंकलित करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 830.57 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा संलग्न बी0एम0-9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- A042-20222023-617422023,दिनांक 15.03.2023 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराते हुए परियोजना हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 4,15,28,000 (रुपये चार करोड़ पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87-खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय-24 वृहत निर्माण कार्य मद से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 4,15,28,000 (रुपये चार करोड़ पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश दिनांक 04.11.2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2020-21 की अनुसूची दरों, डी0एस0आर0-2021 तथा कुर्सी क्षेत्रफल दर 2020 पर प्रस्तावित की गयी हैं। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाजार / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लाइफ सेविंग ऐससरीज, कैप्सूल लिफ्ट, प्लांट रूम उपकरण, लेगेसी टाइमर, कम्पटीशन एण्ड डिसाइड उपकरण आदि के अन्तर्गत बाट आउट श्रेणी के कार्यों की लागत बजटरी आफर / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई हैं। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव में पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है, निदेशक,खेल /कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत को अनुमोदित किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /निदेशक, खेल का होगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्राविधानों को यथावत मानते हुये परियोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्यो को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(10)प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित है।

(11) वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 7 जून, 2022 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 नवम्बर, 2022 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक,खेल/ कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(18) निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(19) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेगें।

(20) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(21) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 07 जून 2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(23) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(25) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(26) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(28) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(29) निदेशक, खेल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,15,28,000 (रुपये चार करोड़ पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038008700 खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5- < > -X-2022-23, दिनांक- मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2023/001-253422023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।